प्रा0पत्र / 14 / 2024

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राज.सरकार जरिये अर्पित अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी रसद,कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री जगमोहन सूबेदार पुत्र रामकिशन मै0 सूबेदार होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, नया गांव माफी, बसवारा, हलैना तहसील वैर।

......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :-

1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय

दिनांक 13–11–2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.9.2024 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की पालना में एन.एच. 21 मार्ग पर स्थित मै0 सूबेदार होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट पर पहुंचे कर जांच की गई, मौके पर होटल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपभोग रेग्यूलेटर नली व चूल्हे के माध्यम से किया जाना पाया गया। अप्रार्थी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण दो घरेलू गैस सिलेण्डर को बजह सबूत जप्त किया गया। जप्त किये गये उक्त गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित आया। बाद में अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया है ऐसी स्थिति में पैरोकार सरकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 14 / 2024

प्रवर्तन अधिकारी रसद बनाम जगमोहन सूबेदार

पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी से मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रुप से एलपीजी गैस का उपयोग कैफे पर वाणिज्यक गतिविधी के लिये करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त दो घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर